पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन नं0–02/2024

कार्यालय
महाप्रबन्धक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0– ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/02/2024 **दिनांक 22.05.2024**

विषयः शंटिंग के दौरान शंटिंग कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन एवं कार्य के दौरान लापरवाही के कारण दिनांक 08.05.2024 को गया गुड्स शेड मे बी.आर.एन.ए.एच.एस. वैगन के अवपथन एवं दिनांक 12.05.2024 को दानापुर मंडल के धीना स्टेशन यार्ड में बॉबीएन. लोडेड वैगन के अवपथन की घटना ।

1. संक्षिप्त परिचयः–

1. **बी.आर.एन.ए.एच.एस. वैगन** संख्या– SWR/56150955226 इस्माइलपुर स्टेशन पर दिनांक 03.06.2023 से साइडिंग में स्टेबल्ड था जिसे दिनांक 06.05.2024 को 23.00 बजे गया के लिए चलाया गया और उक्त वैगन दिनांक 07.05.2024 को गया के डाउन रिसिविग लाइन न0–02 में 00.30 बजे पहुँचा । दिनांक 08.05.2024 को 02.30 बजे स्टेशन मास्टर बी. केबिन/गया के द्वारा शंटिंग के लिए टी/806 मेमो लोको पायलट/शंटर को दिया गया । 02.38 बजे शंटिंग प्रारंभ हुआ और उक्त वैगन को 02.47 बजे गुड्स शेड लाइन में आने के बाद इंजन से अलग किया गया । इंजन के अलग होते ही उक्त वैगन लुढ़कने लगा और 02.48 बजे प्वांइट संख्या 57/बी. जो खुला ट्रैप प्वांइट था, पर जाकर अवपथित हो गया ।

2. इसी प्रकार दिनांक 12.05.2024 को धीना स्टेशन के अप बैलास्ट साइडिंग से बॉबीएन. लोडेड रेक को अप लूप लाइन में लाने के दौरान प्वांइट संख्या 52/ए. के पास अंतिम बॉबीएन. लोडेड वैगन संख्या ER/99020294117 का आठ चक्कों से अवपथन हो गया । ये दोनों अवपथन की घटनाऍ शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों के अनुपालन में शिथिलता एवं शंटिंग कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के कारण घटित हुई ।

पहली घटना (गया गुड्स शेड) की जॉच जूनियर स्केल अधिकारियों की पॉच सदस्यों की टीम द्वारा की गयी जिसमें अवपथन के कारण के बारे में बताया गया कि इस्माइलपुर स्टेशन मास्टर द्वारा बिना जी.डी.आर. प्राप्त किये उक्त वैगन को गया के लिए चलाया गया तथा गया में वैगन को इंजन से अलग करने के पूर्व शंटमैन द्वारा वैगन का सुरक्षित नहीं किया गया ।

दूसरी घटना (धीना स्टेशन यार्ड) के संबंध में वरीय पर्यवेक्षकों द्वारा बनाए गये ज्वांइट नोट में कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा शंटिंग नियमों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण वैगन का अवपथन हुआ ।

2. प्रकियागत विफलताऍः–

इन दोनों घटनाओं में निम्न तथ्य प्रकियागत विफलता के रूप में चिन्हित किया गयाः–

1. 24 घंटा से अधिक समय से स्टेबल्ड किये गये वाहन/रेक को चलाने के पहले जी.डी.आर. अवश्य तैयार किया जाना चाहिए जो इस मामले में नहीं किया गया ।

2. वैगन को इंजन से अलग करने से पहले वैगन को लुढकने से रोकने के लिए गुटका एवं सेफ्टी चेन का प्रयोग किया जाना चाहिए लेकिन इस मामले में वैगन को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं किया गया ।

3. धीना स्टेशन पर शंटिंग पश्चिमी ओर से लोड को पीछे की ओर (पुश करते हुए) अप लूप लाइन में लाया जा रहा था । ऐसे में इंजन को स्टार्टर सिग्नल तक रूक जाना चाहिए था तथा शंटिंग का पर्यवेक्षण कर रहे ट्रेन मैनेजर को अप लूप लाइन के पूर्वी छोर पर स्थित ट्रैप प्वांइट से पहले खड़ा रहना चाहिए था और पूर्वी छोर के ट्रैप प्वांइट से पहले लोड को रोक दिया जाना चाहिए था लेकिन ट्रेन मैनेजर स्टार्टर ट्रैप प्वांइट तक पहुँच ही नहीं पायें और लोड को खुले ट्रैप प्वांइट तक शंटिंग किया गया जिसके कारण बॉबीएन. लोडेड वैगन का अवपथन हुआ ।

4. धीना स्टेशन पर शंटिंग कार्य के दौरान गार्ड को ट्रैप प्वांइट से पहले खड़ा होना चाहिए था तथा ट्रैप प्वांइट से पहले गाड़ी को खड़ा करना चाहिए था ।

3. उक्त दोनों घटनाओं से मिली सीखः–

- 24 घंटे से अधिक समय से स्टेबल्ड लोड को चलाने से पहले जी.डी.आर. अवश्य बनाया जाना चाहिए । जी.डी.आर. बनाने के बारे में वर्किंग टाइम–टेबल में विस्तृत चर्चा है और इसका अक्षरशः पालन सर्वसंबंधित जैसे ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर/वाणिज्य कर्मचारी तथा कैरेज एवं वैगन स्टाफ द्वारा किया जाना चाहिए । इस संबंध में सामान्य एवं सहायक नियम 4.31 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए ।

- शंटिंग करते समय शंटिंग नियमों जिनका वर्णन सामान्य एवं सहायक नियम 5.13 एवं 5.14 में वर्णित नियमों तथा सहायक नियम 8.06 के प्रावधानों के अधीन स्टेशन संचालन नियमावली में वर्णित शंटिंग नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ।

- स्टेबल्ड किये गये वाहन/रेकों को सुरक्षित करने के बारे में सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

- शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षण सक्षम रेल सेवक द्वारा किया जाना चाहिए और सहायक नियम 5.14 (2 एवं 10) का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरिक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

सुनील कुमार 22/05/24
(सुनील कुमार)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात
कृते महाप्रबंधक/संरक्षा

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुपरिप्र0, प्रमुविई, प्रमुयाई./पूमरे/हाजीपुर ।
3. मंडल रेल प्रबन्धक/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. वमंपरिप्र0, वमंसंधि0, वमंविई0(परि0), वमंयाई0)/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।